

न्यायालय:-माखनलाल झोड, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय-बैहर

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक /9/2017

Filling No. CRR/490/2017

संस्थित दिनांक- 08.03.2017

सी.एन.आर.नं.-एम.पी.50050007572017

श्यामराज कुराम उम्र 37 वर्ष पिता केशर जाति गोंड  
 निवासी-बिरवा थाना व तहसील बैहर जिला बालाघाट - - - पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

श्रीमती सोनीबाई कुराम उम्र 32 वर्ष पति श्यामराज कुराम  
 जाति गोंड निवासी ग्राम बिरवा थाना बैहर, हा.मु. भरी  
 पोस्ट पोण्डी थाना रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट - - - उत्तरवादी

न्यायालय: - श्री श्रीष कैलाश शुक्ल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट  
 विविध आप0 प्रकरण क्रमांक 131/2015 श्रीमती सोनीबाई बनाम श्यामराज कुराम में  
 पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 से व्यथित होकर धारा 397 द.प्र.सं. के अधीन यह  
 पुनरीक्षण याचिका पेश की है।

श्री आर0के0 पाठक अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता।  
 श्री संतोष बनवाले अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी।

- / / / आदेश / / / -

(आज दिनांक **16 फरवरी 2018** को पारित)

1- पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण धारा 397 द0प्र0सं0 के अधीन  
 न्यायालय श्री श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा विविध

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 131/2011 श्रीमती सोनीबाई बनाम श्यामराज कुर्राम में आदेश दिनांक 08.12.2016 से विक्षुब्ध होकर पेश की है।

2— पुनरीक्षणकर्ता के मूल अंतिम भरण-पोषण के आवेदन का सार यह है कि के आवेदिका अनावेदक का विवाह गोंड जाति रीति रिवाज के अनुसार वर्ष 2002 में संपन्न हुआ था। वैवाहिक संबंध से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए आवेदिका को उलाहना देकर कि तुझे संतान नहीं होती है भाग जा कहकर मारपीट अनावेदक करने लगा। आवेदिका प्रताड़ना सहती रही है। लगभग सात साल पहले ग्राम टोपला सूपखार की महिला सुमित्रा को अनावेदक दूसरी पत्नि बनाकर ग्राम बिरवा लाकर साथ रखने लगा। सुमित्रा से भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। पन्द्रह दिन पहले आवेदिका को अनावेदक ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। वह विवश होकर अपने मायके में रह रही है।

3— आवेदिका का आय का कोई साधन नहीं है। 100/—(सौ) रुपये प्रतिदिन की दर से 3000/—(तीन हजार)रुपये खर्च आता है। अनावेदक अदा नहीं कर रहा है। अनावेदक के पास 5 एकड़ दो फसली कृषि भूमि है। कृषि से एक लाख रुपये की आय चार माह में होती है। बाकी दिन 200/—(दो सौ)रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करता है। मूल आवेदन के निराकरण तक अंतरित आवेदन पत्र स्वीकार कर अनावेदक 3,000/—(तीन हजार) रुपये मासिक अदा करने में सक्षम है इसलिए आवेदिका को 3000/— (तीन हजार)रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण राशि दिलायी जावे।

4— अनावेदक ने अंतिम भरण-पोषण हेतु पेश आवेदन पत्र का उत्तर पेश कर आक्षेपयुक्त अभिकथनों को स्वीकार किया है। दोनों के मध्य विवाह होना और विवाह से संतान न होना स्वीकार किया है। अनावेदक ने आवेदिका की सहमति से सुमित्राबाई से पाट विवाह 2008 में करना लेख किया है। मई 2015 में आवेदिका बिना जानकारी के उनके मायके ग्राम पोंडी तहसील परसवाड़ा चली गई। आवेदिका अनावेदक के बीच कोई विवाह नहीं है। अनावेदक ने भरण-पोषण में कोई लापरवाही नहीं की है वह साथ रखने को तैयार

है। आवेदक के पास पांच एकड़ कृषि भूमि शामिल शरीक भूमि है। अनावेदक अपने वृद्ध माता का एवं परिवार के सदस्य का भरण-पोषण करता है। आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

5— प्रस्तुत पुनरीक्षण के आधार का सार यह है कि पुनरीक्षणकर्ता ने दूसरी पत्नि बना लेने के बाद उत्तरवादी सात वर्षों तक संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण ढंग से निवास करती रही। पुनरीक्षणकर्ता को दूसरा विवाह करने हेतु उत्तरवादी ने उसकी सहमति ली थी। बीते सात वर्षों में पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही नहीं की। पुनरीक्षणकर्ता गरीब मजदूर व्यक्ति है। कृषि मजदूरी पर आश्रित होकर स्वयं के परिवार का और माता का मुश्किल से भरण-पोषण करता है। वह भरण-पोषण राशि देने में असमर्थ है। उक्त आधारों को अंतिम आदेश पारित किये जाने पूर्व विचार में न लेकर दिनांक 08.12.2016 को त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। आदेश दिनांक 08.12.2016 को निरस्त किये जाने की याचना की है।

6— पुनरीक्षण के निराकरण हेतु अधोलिखित विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:—

क्या विद्वान तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर श्री श्रीष कैलाश शुक्ल द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2016 को पारित करने में अशुद्धता, अवैधतायुक्त होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

—:विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष:—

7— उभयपक्षों द्वारा अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। अंतिम भरण-पोषण हेतु पेश आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र अभिलेख पर पेश है। इस शपथ पत्र के खण्डन में अनावेदक की ओर से उत्तर के समर्थन में शपथ पत्र नहीं है। उभयपक्षों के मध्य स्वीकृत स्थिति यह है कि वे जाति रीति रिवाज अनुसार पति-पत्नि है। यह विवादित नहीं है कि गैरपुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक से पृथक रह रही है। पुनरीक्षणकर्ता की द्वितीय पत्नि के साथ 7 वर्षों तक आवेदिका साथ रहकर निवास करती

रही है। पश्चात् उसे पुनरीक्षणकर्ता से पृथक रहने के लिए विवश होना पड़ा का अभिकथन मूल आवेदन में लेख है। यह तथ्य सही है अथवा गलत साक्ष्य की विषयवस्तु है। गुणदोष पर निराकरण किये जाने के पूर्व गैरपुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका का भरण-पोषण करने का दायित्व पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक पर है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.12.2016 को अंतिम भरण-पोषण का आवेदन पत्र स्वीकार कर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की हैं आदेश में अशुद्धता नहीं है। प्रक्रिया विधि की त्रुटि नहीं है, तथ्य की त्रुटि नहीं है।

8— अतः प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 08.12.2016 की पुष्टि की जाती है तथा पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

9— इस आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर प्रेषित की जावे।

10— यह पुनरीक्षण पंजी से निरस्त कर नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार में जमा की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर